प्राचार्य

डॉ0 यशवीर सिंह तोमर

दूरभाष : (का०) 01234-262130, 262014

विवरणिका समिति

संयोजक	–	डॉ० वेदपाल
सदस्य	–	डॉ० साधना तोमर
सदस्य	–	डॉ० राम शर्मा
सदस्य	–	डॉ० प्रताप चौधरी

कार्यालय अधीक्षक	–	श्री विनय कुमार
पुस्तकालय अध्यक्ष	–	श्री ब्रजराज सिंह तोमर
परीक्षा सम्बन्धी कार्य	–	मौ० सलीम
कला संकाय लिपिक	–	श्री शशिकान्त
विज्ञान संकाय लिपिक	–	श्री सत्य नितिन सिंह
कृषि संकाय लिपिक	–	श्री राजेन्द्र भारद्वाज

महाविद्यालय-भौगोलिक स्थिति व पृष्ठभूमि

बड़ौत, उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद का एक विकासशील नगर है। यह दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर दिल्ली से 56 किमी॰ की दूरी पर स्थित है। यह मेरठ से लगभग 55 किमी॰ दूरी पर सड़क मार्ग से जुड़ा है। यहां से देहरादून, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, सोनीपत, करनाल, शामली आदि के लिए बस सेवा उपलब्ध है। बड़ौत, दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग (वाया शामली) से जुड़ा हुआ है। संचार व्यवस्था से यह नगर देश विदेश से हर समय जुड़ा रहता है।

जनता वैदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलिज, बड़ौत, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध है। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित आर्य समाज का आन्दोलन प्राचीन रूढ़ियों एवं कुरीतियों का उच्छेदन कर सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन में नवजीवन का संचार कर रहा था। इसी पृष्ठभूमि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद (वर्तमान में बागपत जनपद) की गंगा-यमुना की इस शस्य श्यामला भूमि पर बड़ौत नगर के कृषक वर्ग ने 20, अक्टूबर 1917 को जाट वैदिक हाईस्कूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसके अथक निःस्वार्थ प्रयासों से इसे डिग्री कालेज का 1949 तथा स्नातकोत्तर दर्जा 1958 में प्राप्त हुआ।

यह महाविद्यालय बड़ौत नगर के उत्तरपूर्व में यमुना नहर के रजवाहे के किनारे शहर से बाहर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह उत्तर भारत की प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। यहां के अनेक छात्र देश-विदेश में विभिन्न संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन हैं तथा इस महाविद्यालय के गौरव को और अधिक उत्कृष्ट बनाते हैं।

कालिज परिसर के मुख्य भवन में पर्याप्त अध्ययन कक्षों के अतिरिक्त स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए भिन्न-भिन्न ब्लाक में आधुनिक अध्ययन कक्ष व प्रयोगशालाएँ हैं। कृषि, कला एवं विज्ञान संकायों में शोधकार्य की पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए

प्रवेश के नियम

1. महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया का पालन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा स्क्रूटनी के बाद सत्यापित किये जाने पर मान्य रहेंगे।

(ख) प्रवेश, प्रवेश परीक्षा अथवा अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर किये जायेंगे, लिंग (महिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त) जाति पंथ एवं धर्म के आधार पर नहीं। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21

प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टि विहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत) श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता एक प्रतिशत, अंग भंग 1 प्रतिशत (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया जायेगा। स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित और पूर्व सेना कर्मियों या उनके आश्रित अभ्यर्थियों को क्रमश: 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा।

आरक्षित स्थान, अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के 15 दिन बाद अनारक्षित औचित्य स्थापित करते हुये श्रेणी के अभ्यर्थियों से भी भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(ग) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों से कम न हो। कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(घ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी और दूसरे सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश उनके माता-पिता का स्थानान्तरण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत अथवा विलम्बतम 31 अक्टूबर तक ही स्वीकार्य होंगे। 31 अक्टूबर 2007 (वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत) के बाद किसी भी स्थिति में स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होंगे। सेमेस्टर सिस्टममें स्थानान्तरण

III/V सेमेस्टर में ही अनुमन्य किया जा सकेगा। लेकिन प्रत्येक वर्ष की 31 अगस्त के बाद (सेमेस्टर सिस्टम में) कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया 30 दिन में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में छात्र का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय के सम्बन्धित समस्त-विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(v) स्ववित्त पोषित संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जोयगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों/संस्थानों में स्थानान्तरण प्रवेश विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति पर ही अनुमन्य होगा।

(ङ) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा के प्रवेश की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इन्टरमीडिएट की परीक्षा यू॰पी॰ बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसेः— सी॰बी॰एस॰ई॰, आई॰सी॰एस॰ई॰ आदि) किन्तु उनके योग्यता प्राप्तांक ऊ॰प्र॰ बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।

(च) प्रवेश वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। अन्तराल के वर्षो में कुल प्राप्ताकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती की जायेगी। यह नियम केवल प्रथम वर्ष के प्रवेश पर ही लागू होगा।

(छ) वे विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ज) वे विद्यार्थी प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। योग्य/पात्र अभ्यर्थियों की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा सम्बन्धित विषय सहित मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से (उत्तीर्ण) होनी चाहिए।

नोट— विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी परीक्षा निम्नलिखित बोर्डों/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं।

3. (क) **अमान्य बोर्ड के नाम—**

List of Fake Boards

(1) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली
(All India Board of Secondary Education, Azad Pur, Delhi)

(2) केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्, उत्तम नगर, नई दिल्ली
(Central Board of Higher Education, Uttam Nagar, New Delhi)

(3) केन्द्रीय उच्च शिक्षा परिषद्, पूर्व पटेल नगर, नई दिल्ली
(Central Board of High Education, East Patel Nagar, New Delhi)

(4) वयस्क एवं तकनीकी शिक्षा परिषद् अलीगंज, मुबारकपुर, नई दिल्ली
(Board of Adult Education & Training, Aliganj, Mubarkpur, New Delhi)

(5) गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन
(Gurukul Vishvavidyalaya, Vrindavan)

(6) माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली/इलाहाबाद

(7) एम० एच० एजूकेशनल विद्यापीठ, जौनपुर

3. (ख) अमान्य विश्वविद्यालय के नाम

List of Fake Universities

Fake University Alerts-Inside HE-University Grant Commision

FAKE UNIVERSITIES

Mal Practicles Alert Regarding American University of Hawaii

Press Release

LIST OF FAKE UNIVERSITIES (AS ON 15 JUNE, 2006)

1. Maithli University/Viswavidyalaya, Darbhanga, Bihar
2. Mahila Gram Vidyapith/Vishwavidyala, (Women University) Prayag, Allahabad (U.P.)
3. Varanseya Sanskrit Vishwavidyala, Varanasi (U.P.) Jagatpuri, Delhi

4. Commercial University Ltd., Daryaganj, Delhi
5. Indian Education Council of U.P. Lucknow (UP)
6. Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad (UP)
7. National University of Electro Complex Homeopathy, Kanpur
8. Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University), Achaltalm, Aligarh (UP)
9. D.D.B. Sanskrit University, Putur, Trinchi, Tamil Nadu
10. St. John's University, Kishanttam, Kerala
11. United Nations University, Delhi
12. Vocational University, Delhi
13. Uttar Pradesh Vishwavidyala, Kosi Kalan, Mathura (UP)
14. Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyala, Pratapgarh (UP)
15. Raja Arabic University, Nagpur
16. Kesarwani Vidyapith, Jabalpur (MP)
17. Badaganvi Sarkar World Open University Education Society, Gokak, Belgaum (Karnataka)
18. ADR Centric Judicial University ADR House, 8-J, Gapala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi-110 008
19. Gurukul Vishwavidyalaya, Vrindawan (UP)
20. The Institute of Para Medical Sciences, 37, Siv Sarovar Colony, Garh Road, Meerut (UP) (Under Cond/Sideration for Deletion)

Note :- The matter of recognition of degree like B.Ed./M.Ed. etc. awarded by the Bhartiya Shiksha Parishad, Lucknow and aldo its recognition is still subjudice.

2. **महाविद्यालय प्रवेश करते समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्य: 60 अभ्यर्थियों के प्रवेश करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेश के आलोक में महाविद्यालय के प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि ऐसा करते हैं तो उनके विरूद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है।**

परिनियमावली में कुलपति जी को प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत सीटों पर प्रवेश हेतु कुलपति से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

3. **शासनादेश सं॰ 1678/सत्तर-2-2006-2 (166)/2003 दिनांक 23/5/2006 के अनुसार सन् 2006-07 के लिये बी॰ए॰, बी॰एस-सी॰, बी॰कॉम॰ आदि कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2005-06 में निर्गत समस्त शासनादेश यथावत लागू रहेंगे। स्नातक स्तर पर अतिरिक्त सैक्शन, सांध्यकालीन कक्षा हेतु प्राचार्य/संस्था, शासनादेश सं॰ 1870/सत्तर-2-2000-2 (166)/2003**

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दि० 07 जून, 2006 में वर्णित शर्तों का पालन करते हुए उद्धृत प्रक्रिया अन्तर्गत वि०वि० में आवेदन कर सकते हैं। उक्त वृद्धि ए०आई०सी०टी० ई/एन०सी०टी० ई०/डी०सी०आई० एवं बी०सी०आई० आदि विधाई संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होगा।

4. किसी भी विद्यार्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातकोत्तर विषय में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, यदि उसने वह विषय स्नातक स्तर पर नहीं लिया है, चाहे अभ्यर्थी ने उस विषय से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

5. अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु यदि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे वह परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. विद्यार्थी की वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक दिए जायेंगे।

(अ) 4 प्रतिशत अधिभार ऐसे विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो।

(ब) 4 प्रतिशत अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(स) 4 प्रतिशत अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।

(द) (i) 3 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) 2 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-1" सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) 3 प्रतिशत अधिभार उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने एन०एस०एस० के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 10-10 दिनों के 2 कैम्पों में भाग लिया हो अथवा 2 प्रतिशत अधिभार उनके लिए जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा तथा 10 दिनों का एक कैम्प किया हो अथवा 1 प्रतिशत अधिभार उनके लिये उन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 कैम्प किया हो।

अथवा

7. (य) स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा—

(i) 1 प्रतिशत अधिभार — द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(ii) 2 प्रतिशत अधिभार — तृतीय सोपान/गुरूपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) 3 प्रतिशत अधिभार — राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) 4 प्रतिशत अधिभार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

(र) इण्टरमीडिएट स्तर पर एन०एस०एस० में प्रतिभागी के स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये 10 अंक दिए जायेंगे तथा यह अंक अर्हता परीक्षा के कुल प्राप्तांकों में जोड़े जायेंगे।

नोट

(i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को 8 प्रतिशत तक का अधिभार ही देय होगा, [विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को अधिकतम 12 प्रतिशत तक अधिभार दिया जा सकता है।]

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(iii) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में भाग लेने वाले छात्रों को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर कुलपति की विशेष अनुमति के बाद प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश की स्थितियों में यह प्रावधान स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। ऐसे प्रमाण-पत्रों की जाँच एवं प्रवेश अधिकारी की संस्तुति आवश्यक होगी।

(iv) नियम 7 (अ) के अन्तर्गत अधिभार स्नातकोत्तर और एल०एल०-बी० कक्षाओं में प्रवेश हेतु तभी देय होगा जबकि अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय खेलों में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करते हुए भाग लिया हो। इण्टर कॉलिज के स्तर पर भाग लेने वालों को यह अधिभार केवल स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु ही मान्य होगा। ऐसे प्रमाण-पत्रों की जाँचोपरान्त प्रवेश अधिकारी की संस्तुति आवश्यक होगी।

8. कोई भी विदेशी विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसको जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रदान न कर दिया जाये, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

9. इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि उपरान्त के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/ तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष में लगभग समान पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो, पाठ्यक्रम का सामंजस्य एल-एल॰बी॰ के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

10. एक अभ्यर्थी को संस्थागत रूप में बी॰ए॰/बी॰एस-सी॰/बी॰कॉम॰/एल-एल॰बी॰ 6 वर्ष की अधिकतम अवधि में एम॰ए॰/एम॰एस-सी॰/एम॰एस-सी॰ (कृषि) /एम॰कॉम॰/एल-एल॰एम॰ चार वर्ष में, किन्तु स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा अधिकतम सात वर्षों में पूर्ण करनी होगी तथा बी॰एड॰ और एम॰एड॰ तीन वर्ष में, बी॰एस-सी॰ (कृषि) 8 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। तीन/चार/छः/सात/आठ वर्ष की अवधि उस शैक्षिक सत्र में मानी जायेगी जिसमें उसने प्रथम बार प्रवेश लिया हो। उक्त अवधि के समाप्त होने के उपरान्त उसका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

11. एम-एस॰सी॰ (बी॰एस-सी॰ समस्त विषय) और एम॰ए॰ गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत और चित्रकला में प्रवेश परीक्षा/योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे—

(i) महाविद्यालय, विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम॰एस-सी॰ और एम॰ए॰ में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी॰एस-सी॰/बी॰ए॰ में ऊपर बताये नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएं एस॰सी॰/एस॰टी॰ के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा, किन्तु प्रवेश योग्यता क्रमानुसार ही होंगे।

(iii) प्रस्तर 11 पर दिये गये विषयों से अलग एम॰ए॰ के ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं है एवं एम॰एस-सी॰ (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(iv) एम०एस-सी० और एम०ए० (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम०एस-सी० सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी विषय होना अनिवार्य है, परन्तु एम०ए० प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे।

(v) विद्यार्थी की योग्यता का निर्णय तीन वर्षीय उपाधि की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के साथ विषय में प्राप्त अंकों, जिसमें उसे प्रवेश लेना है, को जोड़कर किया जायेगा। विषय में प्राप्त अंकों की गणना स्नातक के तीनों वर्षो के लिखित परीक्षा में प्राप्त पूर्ण अंकों तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधे अंकों को जोड़कर की जाएगी। इस प्रतिशत में नियमानुसार देय अधिभार अंक भी जोड़े जायेंगे।

(vi) ऊपर इंगित विषयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की एक सम्पूर्ण सूची महाविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी और पूर्ण विवरण के साथ चयन एवं प्रतीक्षा सूची प्रवेशोपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

(vii) प्रतीक्षा सूची भी योग्यता क्रमानुसार तैयार की जायेगी और चयन सूची के साथ-साथ प्रदर्शित की जायेगी। प्रतीक्षा सूची चयन सूची के समान अर्थात् 100 प्रतिशत होनी चाहिए। दोनों सूचियाँ महाविद्यालय के सूचना पट पर संसूचित की जानी चाहिए और विश्वविद्यालय को साथ-साथ भेजी जाएंगी। प्रत्येक विद्यार्थी को सूची में स्थान के अनुसार सूचित किया जायेगा। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को उसके लिए निश्चित प्रवेश तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व निर्धारित समय पर उस तिथि पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा। प्रवेश के सन्दर्भ में उन्हें वरीयता दी जाए, जो निश्चित तिथि और समय पर प्रवेश के लिए उपस्थित हों।

(viii) एम०ए० गैर प्रायोगिक विषय के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

12. (i) एल०-एल०बी० प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के बाद तैयार योग्यता सूची के आधार पर तदर्थ विहित नियमावली के अनुसार किये जायेंगे।

(ii) केवल वे ही विद्यार्थी, जिन्होंने अर्हता परीक्षा/उच्चतर परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिये 35 प्रतिशत) प्रवेश परीक्षा के लिए सुपात्र होंगे।

(iii) एक अभ्यर्थी, जिसने इस विश्वविद्यालय से या इस विश्वविद्यालय से मान्य किसी विश्वविद्यालय से एल-एल०बी० की उपाधि (3 वर्षीय पाठ्यक्रम/5 पाठ्यक्रम) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से प्राप्त की है, मास्टर ऑफ लॉ (एल-एल०एम०) की उपाधि के लिए प्रवेश व प्रवेश परीक्षा हेतु

पात्र होगा। एल-एल०एम० प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(iv) एक अभ्यर्थी, जिसने एल-एल०बी० का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष या द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से जो कि इस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, उत्तीर्ण किया है, एल-एल०बी० के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है, किन्तु उसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।

(v) कोई भी महाविद्यालय एल-एल०बी० के एक विभाग में 60 से अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट नहीं करेगा। कुलपति की पूर्व अनुमति से 80 तक प्रवेश किये जा सकते हैं।

13. (i) बी०कॉम० प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रकरण में योग्यता सूची तैयार करते समय उन विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा। जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी०कॉम० में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इन्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जाएगा। इन्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे, प्रयोगात्मक विषयों के नहीं।

(ii) बी०ए० में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इन्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

14.(i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को उस जनपद के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध में अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय के प्राचार्य को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश को महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रेगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका

प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(vi) कोई भी विद्यार्थी, जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी०एड०, एम०एड०, एल-एल०बी०, एल-एल०एम० के अतिरिक्त किसी कक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा।

15. (i) बी०एड० और एम०एड० की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी०एड०, एम०एड० के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे। स्ववित्त पोषित संस्थानों में प्रबन्ध तंत्र की सीटों पर प्रवेश इस निमित्त निर्धारित मानकों के आधार पर सुनिश्चित किये जायेंगे।

(ii) बी०एस-सी० (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। अभ्यर्थी को बी०एस-सी० (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कृषि से या विज्ञान से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। इन परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जाएगी।

(iii) केवल वे अभ्यर्थी एम०एस-सी० (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने बी०एस-सी० (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम०एस-सी० (कृषि) में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा/योग्यताक्रम के आधार पर होगा।

16. एक अभ्यर्थी, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बन्धित द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

17. एक अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

18.(i) एम०काम० के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०कॉम० परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एक अभ्यर्थी, जिसने बी०ए०/बी०एस-सी० परीक्षा, अर्थशास्त्र और या गणित को प्रमुख विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण की है और सहायक विषयों के रूप में नहीं, एम०कॉम० प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए अर्ह होगा, लेकिन उसे एम०कॉम० के प्रथम वर्ष में अर्हता पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(ii) बी०बी०ए० और बी०सी०ए० की परीक्षा क्रमशः बी०कॉम० तथा बी०एस-सी० (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी (बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन०सी०टी०ई० के रेगुलेशन ही मान्य होंगे।)

19. एक अभ्यर्थी जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1988 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

20. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे

स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

21. अभ्यर्थी, जिसने द्विवार्षिक स्नातक परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय में ब्रिज पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जायेगा।

22.(i) अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय में बी०ए० प्रथम/एम०ए० प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है, वह बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004) में लिए गये निर्णयानुसार)।

(iii) अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वह बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा (समकक्षता समिति की बैठक 18.05.06) में लिए गये निर्णयानुसार)।

23. अभ्यर्थी, जिसने आबिद, कामिल परीक्षा, जामिया-ए-उर्दू अलीगढ़ से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं है।

24. अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग/इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जायेगा।

25. (i) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

(ii) यदि कोई स्थान स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में संस्थागत पाठ्यक्रम में खाली रहता है, तो वह सांध्यकालीन कक्षाओं के विद्यार्थियों से योग्यता के आधार पर और उसी शुल्क पर, जो संस्थागत विद्यार्थियों से लिया जाता है, भरा जा सकता है।

26. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू०पी० या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझाा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।

27. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने वि०वि० को प्रेषित नहीं करेगा।

28. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

(अनुपालन का उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्राचार्यों का होगा।)

29. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पूर्ण परीक्षा पुनः देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

30. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा। (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य ही होगा।)

31. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं मानी जायेगी।

32. व्यक्तिगत रूप से स्नातक/स्नातकोत्तर के परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अर्हता/समकक्षता आदि नियम संस्थागत परीक्षार्थियों की भांति ही लागू होंगे।

नोट—इसके अतिरिक्त उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय/प्रवेश समिति द्वारा निर्गत आदेश प्रभावी होंगे।

आवश्यक सूचनाएँ

विद्यार्थियों को प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही मिलेगा।

उपस्थिति के नियम :–

1. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए मुख्य व प्रयोगात्मक सभी प्रकार की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पृथक्-पृथक् अनिवार्य है।
2. विशेष परिस्थितियों में 5 प्रतिशत छूट प्राचार्य द्वारा तथा अतिविशिष्ट परिस्थितियों में 10 प्रतिशत छूट कुलपति द्वारा प्रदत्त की जा सकती है।
3. उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में शिक्षण आरम्भ होने की तिथि से की जायेगी, चाहे प्रवेश किसी भी तिथि में लिया गया हो।
4. किसी भी विद्यार्थी को अपना अनुभाग बदलने के लिए प्रवेश अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुभाग परिवर्तन किसी विशिष्ट परिस्थिति में ही सम्भव होगा, अन्यथा नहीं। एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में उपस्थिति स्थानान्तर करवाने का उत्तरदायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
5. अपनी उपस्थिति का पता प्रत्येक विद्यार्थी को माह के प्रथम सप्ताह में सम्बन्धित विषय के अध्यापक से ले लेना चाहिए।

6. प्रवेश के लिए कॉलिज प्रास्पेक्टस में दिये गये निर्धारित आवेदन पत्रों का ही प्रयोग करें।
7. आवेदन पत्र पर समस्त प्रविष्टियों को स्पष्ट रूप से अंकित करें।
8. प्रवेश के समय मूल पत्रों तथा उनकी एक सत्य प्रतिलिपि साथ लाना आवश्यक है। संलग्नक लगाते समय यह निश्चित कर लें कि संलग्नक प्रमाणित हों।
9. एक बार किसी विषय में प्रवेश के पश्चात् विषय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
10. आवेदन पत्र पर फोटो गोंद से भलीं भांति चिपकाऐं। फोटो केवल श्याम-श्वेत ही होना चाहिए। इलैक्ट्रोस्टेट फोटो मान्य नहीं है।
11. निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश के लिए उपस्थित नहीं होने पर प्रवेश का अधिकार समाप्त हो जायेगा तथा किसी दूसरे योग्य प्रतिभाशाली प्रवेशार्थी को प्रवेश मिलेगा।
12. केवल रिक्त स्थान उपलब्ध होने तक ही प्रवेश सम्भव होगा। इसके बाद अन्तिम तिथि तक प्रवेश करने के लिए महाविद्यालय बाध्य नहीं होगा।
13. छात्रावास आदि महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को जानबूझकर हानि पहुंचाने पर विद्यार्थी दण्ड का भागी होगा।
14. सभी प्रवेश अस्थाई होंगे। जांच में तथ्य गलत पाये जाने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नियमों का पालन न करने पर प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
15. प्रवेश अधिकारी के प्रपत्र पर हस्ताक्षर होने के तुरन्त बाद विद्यार्थी को चाहिए कि चालान कटवाकर फीस भर दें।
16. कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार का वाहन परिसर के अन्दर नहीं लायेगा सभी को वाहन स्टैण्ड पर खड़े करने चाहिए।
17. प्रवेश मिलने के तुरन्त बाद प्रत्येक विद्यार्थी को अपना पहचान/परिचय पत्र बनवा लेना चाहिए। कहीं भी कभी भी पूछने पर अपना परिचय पत्र दिखाना चाहिए।
18. किसी विद्यार्थी द्वारा कोई धनराशि जमा करने का अर्थ यह नहीं होगा कि वह महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुका है।
19. प्रवेश तभी मान्य होगा जब प्रवेश अधिकारी द्वारा मांगे गये सभी प्रपत्र, चरित्र व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र आदि जमा करा दें।
20. महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य होगा। खाली समय में वाचनालय, पुस्तकालय आदि में बैठकर स्वाध्याय करें। प्रांगण की सड़कों पर, अध्यापन कक्षों के बाहर या अन्दर समूह में बैठकर अनावश्यक शोर मचाना अवांछित है।
21. महाविद्यालय प्रांगण में धूम्रपान करना, पान, तम्बाकू खाना तथा इधर-उधर थूकना व दीवारों को गन्दा करना अशिष्टता है तथा दण्डनीय होगा।
22. महाविद्यालय की सभी छात्राओं को सभ्यता से सलवार, कुर्ता व चुन्नी पहनना अनिवार्य है।
23. महाविद्यालय के सभी छात्रों को सलीके के साथ पेन्ट व कमीज पहनना अनिवार्य होगा।

छात्रवृत्ति व शुल्क मुक्ति

1. **कृषि उत्पादन मण्डी समिति छात्रवृत्ति** कृषि उत्पादन मण्डी समिति की ओर से महाविद्यालय के एम.

एस-सी. (कृषि) के एक छात्र व बी.एस-सी. (कृषि) के तीन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं। इसकी राशि 3000/- रुपये है। यह राशि योग्य व निर्धन छात्रों को प्रदान की जाती है।

2. **छात्र कल्याण निधि उत्तर प्रदेश** उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा छात्र कल्याण निधि से प्रति वर्ष अनेक योग्यतम एवम् निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
3. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति** प्रतिवर्ष कुछ राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां राज्य सरकार के माध्यम से योग्यतम छात्रों को मिलती है।
4. **विकलांग छात्रवृत्तियां** राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक विकलांग छात्र को शिक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
5. अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सरकार से प्राप्त छात्रवृत्ति पुस्तकीय सहायता तथा शिक्षण शुल्क सहायता वितरित की जाती है।
6. निर्धन छात्रों को महाविद्यालय के छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
7. खेलकूद में विशिष्टता प्राप्त छात्रों को विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
8. योग्यता क्रम और निर्धनता के आधार पर कक्षाओं के 10 प्रतिशत छात्रों को पूर्ण व 15 प्रतिशत छात्रों को अर्धशुल्क मुक्ति की सुविधा प्रदान की गयी है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में सभी सम्बन्धित विषयों की आधुनिकतम पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इनकी संख्या लगभग 82500 होगी। वाचनालय में हिन्दी व अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की मासिक व वार्षिक शैक्षणिक पत्रिकायें भी मंगाई जाती हैं। अनेक विभागों में विभागीय पुस्तकालय हैं।

पुस्तकालय के नियम

1. केवल नियमित विद्यार्थी ही इसका लाभ उठा सकते हैं। अतः अपने परिचय-पत्र सदैव आपके पास होने चाहिए।
2. पुस्तकें पुस्तकालय कार्ड पर मिलेंगी। इस कार्ड को बनवाने के लिए प्रवेश की रसीद, एक फोटो व अपना परिचय पत्र लाना आवश्यक है। कार्ड खो जाने पर दोबारा नहीं बनाया जायेगा। अपना कार्ड कभी दूसरे विद्यार्थी को नहीं देना चाहिए।
3. पुस्तकें कक्षा, विषय व दिन के अनुसार निर्धारित समय पर दी जाती हैं। अन्यथा दण्ड देना होगा। पुस्तकें लेते समय भलीं भांति देखकर लें। फटी पुस्तकें वापिस नहीं ली जायेगी।
4. पुस्तकों पर नोट लिखना, पन्ने फाड़ना अथवा मोड़ना आदि दण्डनीय अपराध है।
5. पुस्तकालय में मौन रहकर अध्ययन करना चाहिये।
6. उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त पुस्तकालय अधीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

खेलकूद व शारीरिक व्यायाम

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अत्यावश्यक है। विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए क्रीडास्थल एवं व्यायामशाला की सुविधा है। जहां प्रशिक्षण व अभ्यास के लिए प्रशिक्षकगण की

व्यवस्था है। महाविद्यालय के खिलाड़ी विश्वविद्यालय स्तर पर सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। प्रतिभावान् खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व छात्रवृत्तियां भी मिलती हैं। अन्तर्विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को कुलपति की विशेष अनुमति पर किसी भी कक्षा में योग्यता क्रम से हटाकर प्रवेश दिया जा सकता है।

एन0सी0सी0 (राष्ट्रीय कैडेट कोर)

महाविद्यालय में एन.सी.सी की एक प्लाटून है। जिसमें प्रतिवर्ष 100 छात्रों को भर्ती किया जाता है। एन.सी.सी. कैम्प भी लगाया जाता है। असाधारण क्रिया कलापों के लिए स्वर्ण पदक भी दिये जाते हैं।

एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना)

महाविद्यालय में कला, विज्ञान व कृषि संकायों में स्नातक स्तर पर एन॰एस॰एस॰ की चार ईकाइयाँ है। लगभग 200 विद्यार्थियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। लगभग 200 से अधिक छात्रों को कैम्प के लिये चुना जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर प्रतिवर्ष सर्टीफिकेट दिया जाता है। सेवाओं के चयन आदि में इनसे अंक (वैटेज) प्राप्त होते हैं।

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

महाविद्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता द्वारा विद्यार्थियों को समय-समय पर नियमों व व्यवस्थाओं आदि के विषय में जानकारी व सुविधा प्रदान की जाती है। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर विद्यार्थी को उनसे परामर्श करना चाहिये।

प्रोक्टोरियल बोर्ड

महाविद्यालय में योग्य चीफ प्रोक्टर की संयोजकता में कुछ अध्यापकों व छात्रों का एक प्रोक्टोरियल बोर्ड है, जो हर पल सतर्कता के साथ विद्यालय में अनुशासन का प्रबन्ध करता है। महाविद्यालय में शिक्षा का सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाये रखने में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर दण्ड का भी प्रावधान है।

शैक्षिक भ्रमण (टूर)

छात्रों व शिक्षकों हेतु विभिन्न विषयों से सम्बन्धित प्रदर्शनियों, शोधकार्यो, प्राकृतिक व ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए महाविद्यालय की निजी बस है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

महाविद्यालय में समय-समय पर वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। अनुभवी अध्यापकों के सहयोग से छात्रों को अन्तर्विश्वविद्यालय व अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी समय-समय पर प्रेरित किया जाता है। पूर्व में इस महाविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में ट्राफियां भी जीती हैं।

कालिज पत्रिका

महाविद्यालय में वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसमें विद्यालय की वार्षिक प्रगति के साथ-साथ विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा विभिन्न लेख, कविताएं, चुटकुले आदि मौलिक रचनाएं प्रकाशित की

जाती हैं।

चिकित्सा सुविधा

महाविद्यालय में लघु चिकित्सा केन्द्र स्थापित है। जिसमें एक अंशकालिक चिकित्सक की व्यवस्था है। शिक्षकों व छात्रों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

वाहन स्थल

महाविद्यालय में वाहन स्थल है, जहां पर छात्रों को अपने वाहन साईकिल, स्कूटर आदि खड़े करने चाहिएं। उन्हें अपने वाहन प्रांगण के अन्दर अथवा अध्ययन कक्षों के बाहर खड़े नहीं करने चाहिएं।

परिचय–पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय-पत्र पहले ही दिन बनवा लेना चाहिए। उसके पास परिचय-पत्र अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। कभी भी किसी भी अधिकारी, प्राचार्य अथवा अध्यापक व किसी अन्य के पूछने पर परिचय पत्र आवश्यक रूप से दिखाना होगा।

रेलवे कन्सेशन

दूर के विद्यार्थियों को लम्बे अवकाश के समय घर जाने व वहां से वापस आने के लिए रेलवे कन्सेशन की सुविधा दी जाती है। इसके लिए चीफ प्रोक्टर के पास आवेदन देना होगा। तीसरे दिन ही रेलवे किराया रियायती पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

छात्रा कक्ष

महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन में प्राचार्य कक्ष के निकट छात्राओं को खाली समय में बैठने की समुचित व्यवस्था प्रदान की गई है। यहां उन्हें पत्र-पत्रिकायें भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

छात्रावास

महाविद्यालय के छात्रावास का संरक्षण योग्य, कुशल, छात्रावास अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। महाविद्यालय में बाहर के छात्रों को रहने की व्यवस्था के अनुरूप दो छात्रावास हैं। जिनमें लगभग 150 छात्र रह सकते हैं। उनके लिए भोजनालय की भी व्यवस्था है, जहां शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। छात्रावास के कमरों में पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण प्रकाश व पानी की अच्छी व्यवस्था है। प्रत्येक कमरे में छात्र के लिए उपयुक्त मेज, कुर्सी, चारपाई व पंखे की सुविधा है। दोनों छात्रावास सुरक्षित व पढ़ने वाले छात्रों के अनुकूल उचित वातावरण प्रदान करते हैं। छात्रों के खेलने की भी उचित व्यवस्था है।

नोट : रेमिडियल कोचिंग की एस सी और एस टी विद्यार्थियों के लिये यू.जी.सी द्वारा निःशुल्क व्यवस्था है।

बैंक महाविद्यालय परिसर में ही सिंडीकेट बैंक की सुविधा उपलब्ध है।

वार्षिक शुल्क का विवरण

1. विश्वविद्यालय अथवा शासन द्वारा निर्देशित शुल्क लिया जाता है।
2. वार्षिक शुल्क महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त बैंक चालान द्वारा सिंडीकेट बैंक, जे०वी० कालिज, बड़ौत में प्रवेश के समय ही जमा कराना होगा।
3. प्रतिभूति निक्षेप राशि कालिज छोड़ने के एक वर्ष के भीतर ही वापस देय होगी।

4. वार्षिक शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार लिया जाएगा।

नोट 1.शुल्क केवल एक बार प्रवेश के समय लिया जायेगा।

2. औद्योगिक रसायन व औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय लेने वाले बी०एस-सी० के विद्यार्थियों तथा एम.एस-सी (कृषि) उद्यान विभाग एवं डिप्लोमा इन डेयरी प्रोसेंसिग टिश्यूकल्चर, बेब डिजायनिंग, आफिस ऑटोमेशन, पत्रकारिता अनुवाद, टूरिज्म, बी.पी.एड, एम.एस.सी. माइक्रो बायोलॉजी, बायो इन्फोर्मेटिक्स स्ववित्तपोषित हैं। विश्वविद्यालय नियमानुसार इनके छात्रों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

महाविद्यालय के विभिन्न संकाय व उनमें उपलब्ध स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के विषय

क्रम	संकाय	स्नातक स्तर पर उपलब्ध विषय	स्नातकोत्तर स्तर उपलब्ध विषय
1.	कला संकाय	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र	हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र
2.	विज्ञान संकाय	रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान	रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायो इनफोरमैटिक्स
3.	कृषि संकाय	सस्य विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार, कृषि अभियन्त्रण, उद्यान विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, कृषि रसायन, दुग्ध विज्ञान व प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी व पादप प्रजनन	सस्य विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान एवं पादप प्रजनन, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार, दुग्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्यान विज्ञान
4.	व्यासायिक पाठ्यक्रम	बी.पी.एड.	50 सीट

संकाय, विषय व स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर उपलब्ध सीट संख्या

संकाय	विषय	अनुमोदित सेक्शन/स्नातक	सेक्शन/स्नातकोत्तर	अन्य
कला संकाय	1. हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र/संस्कृत	ए0 सैक्शन (छात्रा)	1	बी.ए.में कुल अनुमोदित सैक्सन 6 है।
	2. अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास/भूगोल/संस्कृत	बी0 सैक्सन (छात्रा)	1	
	3. हिन्दी राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र/संस्कृत	सी0 सैक्सन (छात्र)	1	
	4. अंग्रेजी राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र/संस्कृत	डी0 सैक्सन (छात्र)	1	
	5. हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास/संस्कृत	ई0 सैक्सन (छात्र)		
	6. अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल/संस्कृत	एफ सैक्सन (छात्र)		

संकाय	विषय	अनुमोदित सेक्शन/स्नातक	सेक्शन/स्नातकोत्तर	अन्य
विज्ञान संकाय	रसायन विज्ञान	6 सेक्शन (2+1+1+1+1)	24 सीट	1. बी०एस०सी० (बायो) रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान में कुल सेक्शन 3 हैं।
	वनस्पति विज्ञान	4 सेक्शन	20 सीट	2. बी०एस०सी० (गणित) रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र व गणित में कुल सेक्शन 1 हैं।
	जन्तु विज्ञान	3 सेक्शन	20 सीट	
	भौतिक विज्ञान	3 सेक्शन (2+1)	20 सीट	3. बी०एस०सी० (सांख्यिकी) रसायन शास्त्र, गणित सांख्यकी में सेक्शन एक है।
	गणित	3 सेक्शन(2+1)		
	सांख्यिकी	1 सेक्शन	20 सीट	4. बी०एस०सी० (औद्योगिक रसायन शास्त्र) औद्योगिक रसायन व गणित में एक सेक्शन है।
	औद्यो०रसायन विज्ञान	1 सेक्शन		5. बी.एस.सी. (औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान) रसायन शास्त्र, में वनस्पति विज्ञान व सूक्ष्म जीव विज्ञान में एक सेक्शन
	औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान	1 सेक्शन		
	सूक्ष्म जीव विज्ञान	1 सेक्शन	30 सीट	
कृषि विज्ञान संकाय	बी.एस.-सी कृषि में 3 सेक्शन है। एम.एस-सी. कृषि, कृषि प्रसार, सस्य विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि वनस्पति, दुग्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रत्येक में 20-20 सीटें है तथा उद्यान विज्ञान (स्ववित्तपोषित) में 30 सीटें उपलब्ध हैं।)			

बी.एस-सी. कृषि एक सेक्शन में 80 सीट उपलब्ध हैं।

पाठ्यक्रम

1. **कला संकाय-** में महाविद्यालय में बी.ए. व एम.ए. के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है।

(क) बी.ए. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)

1. **मुख्य विषय-** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाज शास्त्र, गणित व सांख्यिकी। उपर्युक्त विषयों में से विद्यार्थी को तीन मुख्य विषय चुनने होंगे, परन्तु

(अ) राजनीति शास्त्र के साथ सांख्यिकी विषय का चुनाव नहीं किया जा सकता है।

(आ) इतिहास के साथ भूगोल विषय का चुनाव नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत तीनों विषय एक साथ नहीं चुने जा सकते हैं। इनमें से दो विषय चुने जा सकते हैं। सांख्यिकी विषय चुनने वाले विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से गणित व अर्थशास्त्र चुनना होगा।

2. **फाउन्डेशन कोर्स-** विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार बी.ए. प्रथम व बी.ए. द्वितीय में फाउन्डेशन कोर्स अनिवार्य रूप से अतिरिक्त विषय के रूप में चुनना होगा।

फिजिकल एजूकेशन बी.ए. के तीनों वर्षों में अनिवार्य है।

बी०ए० प्रथम वर्ष में अनिवार्य फाउन्डेशन कोर्स

भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव तथा पर्यावरण अध्ययन सभी छात्रों के लिये अनिवार्य है। इनमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

बी.ए. द्वितीय वर्ष में सामान्य जागरूकता-जनरल अवेयरनेस (10) सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। तथा इसमें भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

बी०ए० तृतीय वर्ष में निम्नांकित फाउन्डेशन कोर्स में से एक विषय लेना अनिवार्य होगा।

1. हिन्दी भाषा, 2. अंग्रेजी भाषा, 3. संस्कृत भाषा, 4. भारतीय संस्कृति एवं दर्शन 5. इंडियन सोसायटी एण्ड पोलिटिकल सिस्टम, 6. एन्वायरन्मैन्ट एण्ड कंजरवेशन आफ नेचुरल रिसोर्जिज, 7. हैल्थ एण्ड जनरल साईंग, 8. इण्डियन एकोनोमी एण्ड मैनेंजमैण्ट।

(ख) एम॰ए॰- महाविद्यालय में निम्न चार विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा उपलब्ध है।

1. अर्थशास्त्र 2. समाजशास्त्र 3. राजनीतिशास्त्र 4. हिन्दी

इन विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा के अतिरिक्त विद्या वाचस्पति (पी-एच०डी०) के लिए भी शोध कार्य करवाये जाते हैं। संस्कृत में भी विद्या वाचस्पति के लिये शोध कार्य करवाया जाता है।

2. **विज्ञान संकाय-** में निम्न विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

(क) बी०एस०-सी० (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान व औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में शिक्षा उपलब्ध है।

(अ) मुख्य विषय इण्टर में विज्ञान व गणित से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को ही रसायन विज्ञान,

भौतिक विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान, सांख्यिकी व गणित आदि विषय उपलब्ध होंगे, परन्तु

(1) औद्योगिक रसायन विज्ञान में प्रवेशार्थी को रसायन विज्ञान व गणित विषय चुनने होंगे।

(2) सांख्यिकी के साथ भौतिक/रसायन विज्ञान व गणित विषय ले सकते हैं।

(3) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान व गणित में भी प्रवेश मिल सकता है।

इण्टरमीडिएट में जीव विज्ञान से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को

(1) वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान व जन्तु विज्ञान विषय चुनने होंगे।

(2) औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के साथ वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान विषय चुनने होंगे।

(ब) फाउन्डेशन कोर्स-फाउन्डेशन कोर्स केवल प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा फिजिकल एजुकेशन तीनों वर्ष में छात्रों के लिए अनिवार्य है। बी०ए० के समान ही फाउन्डेशन कोर्स करने होंगे।

(ख) एम०एस-सी० (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा निम्न विषयों में उपलब्ध है वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान व सांख्यिकी। इन विषयों में उच्च कोटि का शोध कार्य भी कराया जाता है।

3. कृषि संकाय विभिन्न विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा व शोध कार्य के लिये मार्ग दर्शन उपलब्ध है।

(क) बी-एस.सी. (कृषि) (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) अनिवार्य कोर्स के अतिरिक्त बी.ए. व बी.एस-सी. के समान ही फाउन्डेशन कोर्स लेना होगा।

चतुर्थ वर्ष के छात्रों को अनिवार्य कोर्स के अतिरिक्त निम्न आठ ऐच्छिक विषयों में से किसी एक का अध्ययन आवश्यक है। इस विषय में उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है तथा इसके अंक प्राप्तांक, श्रेणी निधारण में भी जोड़े जाते हैं।

विषय निम्न हैं

1. फ्रूट प्रिजर्वेशन
2. एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन
3. एग्रीकल्चर फाईनेन्सिंग
4. सोयल टेस्टिंग व सोयल पोल्यूशन
5. सीड प्रोडक्शन टेक्नोलोजी
6. डेयरी बिजनेस मैनेजमेन्ट
7. सोयल वाटर मैनेजमेन्ट टेक्नोलोजी
8. एडवान्स्ड प्लान्ट ब्रीडिंग

(ख) एम-एस.सी. कृषि (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) कृषि प्रसार, सस्य विज्ञान, आनुवंशिकी व पादप प्रजनन, कृषि अर्थशास्त्र, दुग्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं उद्यान विज्ञान।

महाविद्यालय में उक्त विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के अतिरिक्त शोध कार्यों का मार्ग दर्शन भी किया जाता है।

❑ ❑

इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय में पिछले पांच वर्षो से इग्नू का अध्ययन केन्द्र भी है। इस केन्द्र पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सैकड़ों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस समय इग्नू द्वारा 89 अध्ययन कार्यक्रम चल रहे हें, जिसमें सर्टीफिकेट (प्रमाण-पत्र), डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर श्रेणी के पाठ्यक्रम है। महाविद्यालय में स्थित अध्ययन केन्द्र पर निम्नांकित पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश की अन्तिम तिथि 31-7-07 है।

एम.एच.डी 1. MHD (एम.ए.हिन्दी)	कोई आयु सीमा नहीं	माध्यम हिन्दी
एम.ए.एच 2. MAH (एम.ए. इतिहास)	”	माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी
एम.एस.ओ 3. MSO (एम.ए.समाजशास्त्र)	”	माध्यम अंग्रेजी
एम.पी.एस 4. MPS (एम.ए.राजनीति शास्त्र)	”	माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी
एम.ई.जी. 5. MEG (एम.ए. अंग्रेजी)	”	माध्यम अंग्रेजी
एम.ई.सी. 6. MES (एम.ए. अर्थशास्त्र)	”	माध्यम अंग्रेजी

एम.बी.ए 2½ वर्षीय पाठ्यक्रम है। पूरा पाठ्यक्रम 21 कोर्स में बंटा हुआ है। प्रवेश Entrance Test द्वारा होता है जो इग्नू द्वारा प्रतिवर्ष अगस्त माह में लिया जाता है।

स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश की अन्तिम तिथि 31.7.07

1. **बी.सी.ए. (B.C.A.)** तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, 10+2 के बाद सीधा प्रवेश है।

2. **बी.ए. (B.A.)** तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, योग्यता 10+2 या इग्नू से बी.पी.पी.

3. **बी.एस-सी. (B.Sc.)** तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, 10+2 के बाद सीधा प्रवेश है।

4. **बी.कॉम. (B.Com.)** तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, योग्यता 10+2 अथवा इग्नू से बी.पी.पी. के बाद सीधा प्रवेश। बी.कॉम. का विद्यार्थी **C.I.C.** (कम्प्यूटर कोर्स) के दो पेपर भी साथ-साथ कर सकता है।

5. **बी.टी.एस. (BTS)** टूरिज्म में स्नातक डिग्री। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, योग्यता 10+2 या इग्नू से बी.पी.पी.

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अन्तिम तिथि 30.11.07)

1. डेयरी टैक्नोलोजी में डिप्लोमा

2. पी.जी.डी.आर.डी. (PGDRD) ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग्यता स्नातक डिग्री कोई सीमा नहीं। माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी।

3. पी.जी.डी.आई.बी.ओ. (PGDIBO) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। योग्यता स्नातक उपाधि कोई आयु सीमा नहीं।

4. पी.जी.डी.एम.एम. (PGDMM) प्रबंध में स्नातक डिप्लोमा एम.बी.ए. के लिये निर्धारित योग्यता। कोई आयु सीमा नहीं।

5. पी.जी.डी.डी.एम. (PGDDM) आपदा प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, योग्यता स्नातक डिग्री कोई आयु सीमा नहीं।

6. डी.ए.एफ.ई. (DAFE) एच.आई.वी. और परिवार शिक्षा में डिप्लोमा। योग्यता 10+2 या इग्नू से वी.पी.पी.।

7. डी.एन.एच.ई. (DNHE) पोषण और स्वास्थ्य में डिप्लोमा। योग्यता 10+2। लड़कियों के लिये विशेष उपयोगी।

8. डी.टी.एस. (DTS) पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा। योग्यता 10+2 या इग्नू से वी.पी.पी.।

सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम (6 माह की अवधि में पाठ्यक्रम) प्रवेश की अन्तिम तिथि 30.11.07।

1. सी.आई.सी. (CIC) (कम्प्यूटिंग में प्रमाण-पत्र) योग्यता 10+2।

2. सी.एन.सी.सी. (CNCC) पोषण और शिशु देखभाल में प्रमाण-पत्र योग्यता 10+2, लड़कियों के लिये विशेष उपयोगी।

3. सी.डी.एम. (CDM) आपदा प्रबंधन में प्रमाण-पत्र योग्यता 10+2 या इग्नू से वी.पी.पी.

4. सी.ए.एफ.ई. (CAFE) एच आई वी और परिवार शिक्षा में प्रमाण-पत्र योग्यता 10+2 या इग्नू से वी.पी.पी.।

5. सी.ई.एस. (CES) पर्यावरण अध्ययन में प्रमाण-पत्र योग्यता 10+2 या इग्नू वी.पी.पी.।

6. सी.एफ.एन. (CFN) भोजन और पोषण में प्रमाण पत्र, योग्यता 10+2 या इग्नू से वी.पी.पी.।

7. सी.टी.एस. (CTS) टूरिस्म में प्रमाण-पत्र, योग्यता 10+2 या इग्नू से वी.पी.पी.।

8. सी.आर.डी. (CRD) ग्रामीण विकास में प्रमाण-पत्र, योग्यता 10+2 या इग्नू से वी.पी.पी.।

9. सी.पी.एल.टी. (CPLT) प्रयोगशाला तकनीकी में प्रमाण-पत्र, योग्यता विज्ञान सहित 10+2।

10. बी.पी.पी. (BPP) कोई औपचारिक योग्यता नहीं। 10+2 के समकक्ष

इग्नू के पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु डॉ॰ निर्मला देवी तथा डॉ॰ राजवीर सिंह से सम्पर्क करें।

स्वीकृत स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम

इस महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर छः स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। जिनका विवरण इस प्रकार हैं

कोर्स का नाम	**सैक्शन**	**संयोजक**
1. बी.एस-सी औद्योगिक रसायन	एक सैक्शन	श्री देवीचन्द सरोहा
2. बी.एस-सी सूक्ष्म जीव विज्ञान	एक सैक्शन	डॉ. जितेन्द्र मोहन
3. बी.पी.एड.	50 सीट	डॉ. नरेन्द्र सिंह
4. एम. एस-सी उद्यान विज्ञान	30 सीट	श्री रन्धावा
5. एम.एस-सी सूक्ष्म जीवविज्ञान	30 सीट	डॉ. जितेन्द्र मोहन
6. एम.एस-सी बायो इन्फामैटिक्स	30 सीट	डॉ. पृथ्वीराज बूरा

सभी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के कुशलतापूर्वक पठन-पाठन हेतु पूर्ण रूप से सुयोग्य एवं कुशल प्राध्यापकों की नियुक्ति की गयी है।

सम्भावित डिप्लोमा पाठ्यक्रम टिश्यूकल्चर, बेब डिजायनिंग एवं ऑफिस ऑटोमेशन, पत्रकारिता, अनुवाद, टूरिज्म।

नोटः स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम की विवरणिका पृथक से उपलब्ध है।

❑ ❑ ❑

विभिन्न विभागों के शिक्षकों के नाम

प्राचार्यः डॉ॰ यशवीर सिंह तोमर M.Sc., Ph.D. - 264562 (R) 262130 (O)

रसायन विज्ञान विभाग

1. श्री देवीचन्द सरोहा	M.Sc.	प्रवक्ता एवं अध्यक्ष	263601
2. डॉ॰ हरपाल सिंह	M.Sc. Ph.D	रीडर	264566
3. डॉ॰ विजेन्द्र सिंह	M.Sc. Ph.D	रीडर	262416
4. श्री श्याम किशोर	M.Sc.	प्रवक्ता	011-25108625
5. डॉ॰ कृष्णपाल सिंह (अवकाश पर)	M.Sc. Ph.D	प्रवक्ता	266565
6. डॉ॰ (सुश्री) विनय प्रभा शर्मा	M.Sc. Ph.D	प्रवक्ता	2661390
7- डॉ॰ (श्रीमती) मुनेश	M.Sc. Ph.D	प्रवक्ता	
8-15 रिक्त			

भौतिक विज्ञान विभाग

1. डॉ॰ वी॰एस॰ मलिक	M.Sc. Ph.D	रीडर एवं अध्यक्ष	263662
2. डॉ॰ त्रिपाल सिंह	M.Sc. Ph.D	रीडर	265177
3. डॉ॰ सत्येन्द्र पाल	M.Sc. Ph.D	रीडर	011-23239971
4. श्री रविन्द्र कुमार	M.Sc.	प्रवक्ता	246426
5. श्री विनय कुमार	M.Sc. M.Pill	प्रवक्ता	9412648258
6-7 रिक्त			

जन्तु विज्ञान विभाग

1. श्री रघुबीर सिंह	M.Sc.	प्रवक्ता एवं अध्यक्ष	265584
2. डॉ॰ पृथ्वीराज बूरा	M.Sc. Ph.D.	रीडर	264979
3. डॉ॰ अरविन्द कुमार त्यागी	M.Sc. Ph.D.	प्रवक्ता	
4. श्री हरीशवीर	M.Sc.	प्रवक्ता	
5-10 रिक्त			

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ॰ जितेन्द्र मोहन	M.Sc. Ph.D.	रीडर एवं अध्यक्ष	263210
2. डॉ॰ सुधीर कुमार	M.Sc. Ph.D.	रीडर	
3. डॉ॰ बलजीत सिंह दहिया	M.Sc. Ph.D.	रीडर	265066

4. डॉ॰ सुरेन्द्र पाल सिंह	M.Sc. Ph.D.	रीडर	267678
5. डॉ॰ अशोक कुमार शर्मा	M.Sc. Ph.D.	रीडर	264575
6. डॉ॰ (श्रीमती) राजेश्वरी शर्मा	M.Sc. Ph.D.	रीडर	264575
7. श्री शीशपाल सिंह	M.Sc.	प्रवक्ता	210315
8. श्री संजय कुमार	M.Sc.	प्रवक्ता	9412525808
9-10 रिक्त			

सांख्यिकी

1. डॉ॰ अशोक कुमार कौशिक	M.Sc. Ph.D	रीडर एवं अध्यक्ष	264307
2. डॉ॰ सतीश चन्द शर्मा	M.Sc. Ph.D.	रीडर	264001
3. डॉ॰ (श्रीमती) सीमा राज	M.Sc. Ph.D.	रीडर	0121-2403725
4. श्री विकास त्यागी	M.Sc. M.Phil.	प्रवक्ता	0121-2602691
5. श्री शिव कुमार	M.Sc.	प्रवक्ता	

गणित विभाग

1. श्री मदनपाल	M.Sc. M.Phil.	प्रवक्ता व अध्यक्ष	260473
2. डॉ॰ सतीश कुमार	M.Sc. Ph.D.	प्रवक्ता	0121-2527704

हिन्दी विभाग

1. डॉ॰ गजेन्द्र सिंह	M.A. Ph.D.	रीडर एवं अध्यक्ष	265075
2. डॉ॰ (श्रीमती) निर्मला देवी	M.A. Ph.D.	रीडर	265118
3. डॉ॰ (श्रीमती) साधना तोमर	M.A. Ph.D.	प्रवक्ता	260117
4-5 रिक्त			

समाज शास्त्र विभाग

1. डॉ॰ अलका रानी	M.A. Ph.D.	रीडर एवं अध्यक्ष	263663
2. डॉ॰ देवेन्द्र पाल सिंह तोमर	M.A. Ph.D.	प्रवक्ता	0121-2682807
3. श्री सत्येन्द्र सिंह	M.A. M. Phil	प्रवक्ता	
4-5 रिक्त			

राजनीति शास्त्र विभाग

1. डॉ॰ नरेन्द्र सिंह	M.A. Ph.D.	रीडर एवं अध्यक्ष	264567
2. डॉ॰ प्रताप चौधरी	M.A. Ph.D.	प्रवक्ता	260832
3-4 रिक्त			

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ॰ बुद्ध सिंह	M.A. Ph.D.	रीडर एवं अध्यक्ष	264956
2. (श्रीमती) छाया तेवतिया	M.A.	प्रवक्ता	
3. श्री उर्वेन्द्र कुमार	M.A.	प्रवक्ता	
4-5 रिक्त			

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ॰ अरुण कुमार मिश्र	M.A. Ph.D.	प्रवक्ता एवं अध्यक्ष	264304
2. डॉ॰ राम शर्मा	M.A. Ph.D.	प्रवक्ता	
3. रिक्त			

भूगोल विभाग

1. डॉ॰ राजेन्द्र कुमार (अवकाश पर)	M.A. Ph.D.	प्रवक्ता एवं अध्यक्ष	01396-71700
2. रिक्त			

संस्कृत विभाग

1. डॉ॰ वेदपाल	M.A. Ph.D.	रीडर एवं अध्यक्ष	

इतिहास विभाग

1. डॉ॰ (श्रीमती) विजय लक्ष्मी	M.A. Ph.D.	रीडर एवं अध्यक्ष	260218

आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग

1. डॉ॰ धीरेन्द्र सिंह	M.Sc (Ag), Ph.D.	रीडर एवं अध्यक्ष	263336
2. डॉ॰ रविन्द्र सिंह	M.Sc (Ag), Ph.D.	रीडर	265095
3. श्री अशोक चौधरी	M.Sc. (Ag)	प्रवक्ता	0121-2670808
4. डॉ॰ सत्यवीर सिंह	M.Sc. (Ag), Ph.D.	रीडर	260440
5. डॉ॰ विपिन कुमार द्विवेदी	M.Sc. (Ag), Ph.D.	रीडर	
6. रिक्त			

दुग्ध विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी

1. डॉ॰ कंवर पाल सिंह सांगू	M.Sc (Ag), Ph.D.	रीडर एवं अध्यक्ष	260524
2. डॉ॰ राजबीर सिंह	M.Sc (Ag), Ph.D.	रीडर	265430
3. डॉ॰ अनिल कु. चौहान	M.Sc. (Ag) Ph.D.	रीडर	263468
4. डॉ॰ देवेश गुप्ता	M.Sc. (Ag), Ph.D.	रीडर	264248

5. डॉ॰ जय सिंह यादव | M.Sc. (Ag), Ph.D. | रीडर | 9412701701

6. रिक्त

सस्य विज्ञान विभाग

1. डॉ॰ ओम पाल सिंह | M.Sc (Ag), Ph.D. | रीडर एवं अध्यक्ष | 260539
2. डॉ॰ तेजपाल सिंह (अवकाश पर) | M.Sc. (Ag) Ph.D. | प्रवक्ता
3. डॉ॰ जयवीर तोमर | M.Sc. (Ag) Ph.D. | प्रवक्ता

4-6 रिक्त

कृषि अर्थशास्त्र विभाग

1. श्री साहब सिंह | M.Sc (Ag), | प्रवक्ता एवं अध्यक्ष | 266485
2. डॉ॰ अरुण सोलंकी | M.Sc (Ag), Ph.D. | प्रवक्ता | 264209

3-4 रिक्त

कृषि प्रसार विभाग

1. डॉ॰ उम्मेद सिंह | M.Sc (Ag), Ph.D. | रीडर एवं अध्यक्ष | 262610
2. डॉ॰ गजेन्द्र प्रताप सिंह | M.Sc. (Ag) Ph.D. | रीडर | 265059
3. श्री लोकेन्द्र कुमार सिंह | M.Sc. (Ag) | प्रवक्ता | 9412834148

4-5 रिक्त

कृषि अभियन्त्रण

1. श्री रन्धावा | M.Sc (Ag) | रीडर एवं अध्यक्ष | 265012

उद्यान विभाग

1-2 रिक्त

पादप रोग विज्ञान विभाग

1. रिक्त

कृषि रसायन शास्त्र

1. डॉ॰ एस॰के॰ द्विवेदी | M.Sc (Ag), Ph.D. | रीडर एवं अध्यक्ष
2. रिक्त

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. श्री सुरेन्द्र सिंह | D.P.Ed. | अध्यक्ष | 243499
2. रिक्त

प्रवेश समितियाँ (शैक्षिक सत्र 2007 - 2008)

विज्ञान संकाय

स्नातक-बायो॰

प्रथम वर्ष	1. डॉ॰ हरपाल सिंह 2. डॉ॰ अशोक शर्मा 3. डॉ॰ (श्रीमती) मुनेश
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	1. डॉ॰ सुधीर कुमार 2. श्री शीशपाल सिंह

स्नातक (गणित)

(प्रथम वर्ष)	1. डॉ॰ सतीश चन्द शर्मा 2. श्री सतीश गुप्ता
द्वितीय व तृतीय वर्ष	1. श्री मदन पाल 2. श्री सतीश गुप्ता

बी.एस-सी॰-औद्योगिक रसायन

(प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	श्री देवीचन्द सरोहा

बी.एस-सी॰-औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान

(प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	डॉ॰ जितेन्द्र मोहन

एम॰एस-सी॰-वनस्पति विज्ञान

प्रथम वर्ष	1. डॉ॰ (श्रीमती) राजेश्वरी 2. श्री संजय कुमार
द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ सुरेन्द्र पाल सिंह 2. डॉ॰ बलजीत सिंह दहिया

एम॰एस-सी॰-रसायन विज्ञान

प्रथम वर्ष	1. डॉ॰ विजेन्द्र सिंह तेवतिया 2. श्री श्याम किशोर
द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ (श्रीमती) विनय प्रभा 2. डॉ॰ (श्रीमती) मुनेश

एम0एस-सी0-जन्तु विज्ञान

प्रथम वर्ष	1. डॉ॰ रघुवीर सिंह

2. डॉ॰ पी॰आर॰ बूरा

द्वितीय वर्ष — 1. डॉ॰ हरीश वीर
2. डॉ॰ अरविन्द कुमार

एम॰एस-सी॰-भौतिक विज्ञान

प्रथम वर्ष — 1. डॉ॰ टी॰पी॰ सिंह
2. डॉ॰ विनय कुमार

द्वितीय वर्ष — 1. डॉ॰ सत्येन्द्र पाल
2. श्री रविन्द्र कुमार

एम॰एस-सी॰-सांख्यिकी

प्रथम वर्ष — 1. डॉ॰ अशोक कौशिक
2. डॉ॰ विकास त्यागी

द्वितीय वर्ष — 1. डॉ॰ (श्रीमती) सीमा राज
2. डॉ॰ शिव कुमार

कला संकाय

स्नातक- बी॰ए॰

प्रथम वर्ष — 1. डॉ॰ (श्रीमती) अलका
2. डॉ॰ राम शर्मा
3. डॉ॰ (श्रीमती) साधना तोमर
4. डॉ॰ प्रताप चौधरी
5. डॉ॰ सत्येन्द्र सिंह

द्वितीय वर्ष — 1. डॉ॰ (श्रीमती) विजय लक्ष्मी
2. डॉ॰ अरूण कुमार मिश्र

तृतीय वर्ष — 1. डॉ॰ वेदपाल
2. श्री उर्वेन्द्र

स्नातकोत्तर-एम॰ए॰ हिन्दी

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष — 1. डॉ॰ गजेन्द्र सिंह
2. डॉ॰ (श्रीमती) निर्मला देवी

एम॰ए॰-समाजशास्त्र

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष — 1. डॉ॰ देवेन्द्र पाल तोमर
2. डॉ॰ सत्येन्द्र सिंह

एम॰ए॰-राजनीति शास्त्र

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ नरेन्द्र सिंह 2. डॉ॰ प्रताप चौधरी

एम॰ए॰-अर्थशास्त्र

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ बुद्ध सिंह 2. डॉ॰ (श्रीमती) छाया तेवतिया

कृषि संकाय

स्नातक- बी॰एस-सी॰-कृषि

प्रथम वर्ष	1. डॉ॰ के॰पी॰ साँगू 2. डॉ॰ एस.के. द्विवेदी
द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ सत्यवीर सिंह
तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष	1. डॉ॰ अशोक चौधरी

स्नातकोत्तर-एम॰एस-सी॰-कृषि वनस्पति

प्रथम वर्ष	1. डॉ॰ धीरेन्द्र सिंह 2. डॉ॰ वी॰के॰ द्विवेदी
द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ रविन्द्र सिंह

एम॰एस-सी॰-कृषि प्रसार

प्रथम वर्ष	1. डॉ॰ उम्मेद सिंह 2. श्री लोकेन्द्र सिंह
द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ जी॰पी॰ सिंह

एम॰एस-सी॰-दुग्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रथम वर्ष	1. डॉ॰ राजबीर सिंह 2. डॉ॰ जयसिंह यादव
द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ देवेश गुप्ता

एम॰एस-सी॰-कृषि अर्थशास्त्र

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ साहब सिंह 2. डॉ॰ अरुण सोलंकी

एम॰एस-सी॰-कृषि सस्य विज्ञान

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष	1. डॉ॰ ओमपाल सिंह 2. डॉ॰ जयवीर सिंह